भाकृअनुप– भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान
अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून–248011

ICAR- Indian Institute of Soil & Water Conservation,
Research Farm, Selakui, Dehradun-248011

फा. सं. 166 /5(5)/SCF/Store/FP/2025-26 दिनांकः 14.07.2025

भिंडी की फसल का नीलामी नोटिस

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किं भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई, देहरादून मे भिंडी की खड़ी फसल की ''जैसी है जहाँ है के आधार पर'' खुली नीलामी (Open Auction) **दिनांकः 04–08–2025 को प्रातः 10–00 बजे अनुसंधान प्रक्षेत्र, सेलाकुई के कार्यालय भवन** में संपन्न की जायेगी। नीलामी हेतु फसल का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	फसल का विवरण	क्षेत्रफल	नीलामी की अवधि	नीलामी हेतु पंजीकरण राशि का विवरण
1.	भिंडी की फसल, 2% CA field, SS&A Division	1.0 है0	30 सितंबर, 2025 तक	रू0 3000/– (रूपये तीन हजार मात्र)

नीलामी की नियम एवं शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

1. भिंडी की फसल की नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु इच्छुक बोलीदाता को **दिनांक 04–08–2025 को प्रातः 10–00 बजे से 10–30 बजे तक** अपना पंजीकरण कराना आवश्यक होगा तत्पश्चात् नीलामी की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। पंजीकरण कराते समय निम्नलिखित दस्तावेज इत्यादि आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी :–
   - भिंडी की फसल की नीलामी के लिए पंजीकरण नकद अथवा डिमांड ड्राफ्ट जो कि **ICAR (UNIT) IISWC, Dehradun** के पक्ष में देय हो।
   - बोलीदाता के **आधार कार्ड** की प्रतिलिपी ।
   - बोलीदाता के बैंक पासबुक के प्रथम पेज जिसमें उनकी फोटो/नाम आदि का विवरण हो की प्रतिलिपी ।
2. फसल की नीलामी **जैसी है जहाँ है के आधार पर** की जायेगी। एक बार बोली छूटने के पश्चात् फसल से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत इत्यादि को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. इच्छूक बोलीदाता फसल का निरीक्षण नीलामी नोटिस जारी होने के पश्चात् किसी भी कार्यदिवस में 10.00 बजे से 4.00 बजे के बीच संबंधित क्षेत्र के तकनीकी अधिकारी की देख–रेख में कर सकते है।
4. एक पंजिकरण राशि के साथ केवल एक ही बोलीदाता को नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी।
5. नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता माना जायेगा तथा नीलामी उनके पक्ष में की जायेगी।
6. असफल बोलीदाता को पंजिकरण राशि वापिस कर दी जायेगी।
7. अधिकतम बोलीदाता की पंजीकरण राशि को संस्थान के पास नीलामी ठेका प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सुरक्षित रखा जायेगा तथा अन्य बोलीदाओं की पंजीकरण राशि को बोली प्रक्रिया के पश्चात् वापिस कर दिया जायेगा।
8. सफल बोलीदाता को कुल नीलामी की 10 प्रतिशत धनराशि नीलामी ठेके की धरोहर राशि (सिक्योरिटी मनी) के रूप में तथा कुल नीलामी राशि की 25% धनराशि बोली के तुरन्त पश्चात उसी दिन डिमांड ड्राफ्ट/पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान कें खाते में जमा करानी होगी, जमा धरोहर राशि आंवटित नीलामी ठेका अवधि पूर्ण होने के 60 दिन बाद ठेके के संतोषप्रद संचालन किये जाने की स्थिति में ही संबंधित बोलीदाता को वापिस की जायेगी।
9. सफल बोलीदाता को शेष 75% धनराशि संस्थान द्वारा निर्धारित अवधि में **डिमांड ड्राफ्ट /पी0ओ0एस0 मशीन अथवा NEFT/RTGS द्वारा संस्थान के खाते में जमा** कराना होगा। यह धनराशि निर्धारित अवधि के भीतर जमा ना कराने की

अवस्था में उनके पक्ष की नीलामी रदद मान ली जायेगी तथा उनके द्वारा पूर्व में जमा सभी धनराशियों को जब्त कर लिया जायेगा। सफल बोलीदाता द्वारा उपरोक्त पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् ही उनके नाम नीलामी आदेश जारी किया जायेगा।

10. सफल बोलीदाता को नीलामी आदेश प्राप्ति के पश्चात् फसल की देख–रेख, सुरक्षा, तुडाई, पैकिंग, अनुसंधान प्रक्षेत्र से ले जाने इत्यादि की पूर्ण जिम्मेदारी स्वंय की होगी। संस्थान द्वारा इसमें किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी अथवा व्यय वहन नहीं किया जायेगा।
11. सफल बोलीदाता को उपरोक्त कार्य में लगाये जाने वाले कर्मचारियों की संपूर्ण जानकारी उनके आधार कार्ड की प्रति सहित प्रक्षेत्र अधीक्षक को जमा करानी होगी। वह फसल की तुडाई हेतु बाल मजदूर का उपयोग नहीं करेंगे।
12. सफल बोलीदाता को लोबिया की तुड़ाई का अधिकार आंवटित अवधि 30 सितंबर, 2025 तक ही होगा। उसके पश्चात् उनको या उनके कर्मचारियों को फसल तुडाई हेतु प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा फसल की तुडाई इत्यादि का कार्य, कार्य दिवस में प्रातः 09.00 बजे से 5.00 बजे के बीच ही करना होगा।
14. सम्बन्धित वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारी को उपज के आंकड़े लेने के लिए भिंडी की फसल तोड़ने का अधिकार होगा, जो तोल करने के उपरान्त ठेकेदार को वापिस कर दी जायेगी।
15. सफल बोलीदाता के स्वंय, उनके कर्मचारियों तथा फसल को बाहर ले जाने इत्यादि के दौरान यदि अनुसंधान प्रक्षेत्र की किसी भी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया जाता है तो इस नुकसान की भरपाई में होने वाला समस्त व्यय का भुगतान बोलीदाता को स्वंय करना होगा अन्यथा उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी।
16. सफल बोलीदाता द्वारा फसल की तुड़ाई के दौरान उनको या उनके कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का शारीरिक नुकसान इत्यादि होता है तो उसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।
17. बिना कोई कारण बताये इस ठेके से सम्बन्धित प्राप्त बोलियों को आंशिक अथवा पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के पूर्ण अधिकार संस्थान के निदेशक महोदय के पास सुरक्षित होंगे।
18. यदि नीलामी की तिथि को किसी प्रकार का अवकाश घोषित किया जाता है तो नीलामी की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में निर्धारित समय पर ही पूर्ण की जायेगी तथा इसके लिए अलग से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
19. इस ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के विवाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार देहरादून न्यायालय होगा।
20. उपरोक्त नीलामी ठेके से संबंधित सभी अधिकार संस्थान के निदेशक के पास सुरक्षित रहेंगे और किसी एक अथवा सभी निविदाओं को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार भी सुरक्षित रखतें हैं।

अतः नीलामी प्रकिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति/ठेकेदार/फर्म उपरोक्त नियम एवं शर्तों के अनुसार नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं

Prdaic 22-7-25

प्रभारी प्रक्षेत्र अधीक्षक
अनुसंधान प्रक्षेत्र सेलाकुई